

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी),
वन भवन, तुलसी नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

क्रमांक / माचि०/०७/६९९६

भोपाल / दिनांक / ॥ / दिसम्बर / 2007

प्रति,


1. समरत क्षेत्र संचालक (टाईगर रिजर्व)
2. समरत संचालक, (राष्ट्रीय उद्यान)
3. वन संरक्षक, उज्जैन / ग्वालियर / भोपाल / सागर।

विषय:- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्षेत्रों मे विकास कार्यों की अनुमति।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / माचि०/५४५९ दिनांक १८.१०.२००७.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें यह लेख किया गया था "कि संरक्षित क्षेत्रों के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित कार्यों को केवल शासकीय विभाग ही करा सकेंगे"। संदर्भित पत्र से उक्त टीप विलोपित की जाती है तथा स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेश में सूचीबद्ध गतिविधियों संरक्षित क्षेत्र प्रभारी अधिकारी की अनुमति से कोई अन्य विभाग या संस्था द्वारा सम्पादित की जा सकेगी।

कृपया संदर्भित पत्र में उपरोक्तानुसार संशोधन से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावे है।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
म०प्र० भोपाल।

पृ० क्रमांक / माचि०/०७/६९९७

भोपाल, दिनांक ॥ दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपिभूषण, मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम), सतपुड़ा भवन, भोपाल को संदर्भित
अ. व. स. लौ. तुलसी नगर, भोपाल।

५३२५

१३।।१८-


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
म०प्र० भोपाल।